नकल छाप। प्रति आदेश। दिनांक 12/11/09 की प्रति प्रमाणित सहित

न्यायालय उपजिलाधिकारी, छिबरामऊ

वाद सं0 7 /2009

धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अ0
ग्राम– लालकपुर,विशुनपुर,हासिलपुर
परगना– छिबरामऊ
तहसील– छिबरामऊ

महेन्द्र सिंह बनाम सरकार

निर्णय

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मिस्टर सिंह यादव निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्वा सौरिख परगना सौरिख तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम लालकपुर स्थित गाटा सं0 314/0.607, 316/0.320 हे0, 317/0.821 हे0 कुल तीन किता रकवा 1.748 हे0 एवं ग्राम विशुनपुर हासिलपुर के गाटा सं0 734/0.48, 735/0.22 एवं 719/1.03 ए0 कुल तीन किता रकवा 1.73 ए0 कुल 6 किता 6.04 ए0 की संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर चौधरी जमादार सिंह महाविद्यालय लालकपुर की बिल्डिंग बनी हुई है। आवेदक का कब्जा दखल है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाये।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार छिबरामऊ से चाही गई है। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी आख्या 5/11/2009 मय नजरी नक्शा संस्तुति सहित प्रेषित की गई। आख्यानुसार ग्राम लालकपुर स्थित गाटा सं0314/0.607, 316/0.320 हे0, 317/0.821 हे0 कुल तीन किता रकवा 1.748 हे0 एवं ग्राम विशुनपुर हासिलपुर के गाटा सं0 734/0.48, 735/0.22 एवं 719/1.03 ए0 कुल तीन किता रकवा 1.73 ए0 कुल 6 किता 6.04 ए0 की संक्रमणीय भूमिधर श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मिस्टर सिंह यादव निवासी मो0 गांधीनगर कस्वा सौरिख हैं। उक्त भूमि पर चौधरी जमादार सिंह महाविद्यालय की बिल्डिंग बनी हुई है। उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किया जाये। ऐसी स्थिति में तहसीलदार की संस्तुति के आधार पर उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मिस्टर सिंह यादव निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्वा सौरिख परगना सौरिख तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज की संक्रमणीय भूमि ग्राम लालकपुर स्थित गाटा सं0314/0.607, 316/0.320 हे0, 317/0.821 हे0 कुल तीन किता रकवा 1.748 हे0 एवं ग्राम विशुनपुर हासिलपुर के गाटा सं0 734/0.48, 735/0.22 एवं 719/1.03 ए0 कुल तीन किता रकवा 1.73 ए0 कुल 6 किता 6.04 ए0 लगान अंशानुसार को अकृषक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखो में अमल दरामद हेतु व एक प्रति उप निबन्धक छिबरामऊ को नियमानुसार निबन्धन हेतु भेजी जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिनांक – 12/11/09

प्रबन्धक / सचिव
चौ0 जमादार सिंह महाविद्यालय समिति
लालकपुर छिबरामऊ (कन्नौज)

(जे0पी0गुप्ता)
उपजिलाधिकारी
छिबरामऊ

COURT FEE INDIA ONE RUPEE

क्रमांक 256
प्रार्थी का नाम महेन्द्र सिंह
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 12/11/09
नकल तैयारी का दिनांक 12/11/09
... देने का दिनांक 12/11/09

छाप। प्रति सत्य
12/11/09